

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- ३५) /522/2021/20-3
प्रति.

भोपाल, दि ० १६/२०२१

सचिव
सी०बी०एस०ई०,
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संरथा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एवं द्वारा अशासकीय संरथा-ज्ञानोदय इंटरवेशनल स्कूल
कनवटी, जिला-नीमच, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता जिले के
उपरांत भी गृह्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर भाष्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधारों का पालन किया जावेगा।
- (2) विज्ञालय परिवहन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में रांभागीय संयुक्त
रांचालक, लोक शिक्षण तथा उच्चके द्वारा वामांकित एक प्रतिनिधि को
सदरय के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदरय की उपरिथति अनिवार्य होगी।
- (3) संरथा द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा विधारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (4) संरथा विभाग अतासरों पर छात्रों के अन्योनित होवे वाले सांख्यिक एवं
खेलकूद कार्गेट्रोग तथा अन्य छात्र-शिक्षाकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संरथा से वचन पत्र लिखा जाये।
- (5) संरथा द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांख्यिक आयोजनों, विज्ञान
मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की
जायेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संरथा को ऐप की व्यवस्था करका आवश्यक
होगा। संरथा निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इच्छार नहीं करेगी। इस
संबंध में प्राप्त शिकायत यदि शिद्ध पाई गई तो संरथा का अनापत्ति
प्रमाण उन सामाजिक कारबंडों की कार्यवाही की जा सकेगी।

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुरतके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अवृगति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे धरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अधिन-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवरथा की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में रकूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धार्ग के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जानेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राणिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा जाता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की रकीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमलों की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के रामरूप होनी चाहिए के पालन न होने की विवरिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यताही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) राज्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार माव्यता प्रदान कर दिये जाने पर रोसायटी/ट्रस्ट माव्यता के सभय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। रकूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय रकूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि रोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को माव्यता दियग, 2017 के नियम-।। के उप नियम-(।) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

113//

अनुसरण करते हुए रकूल की मान्यता बिलंबित करवे और पश्चात्वर्ति
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
बिरत किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

 १५/६/२०२१

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

मोप्र०शासन, रकूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक- ३५ /५२२/२०२१/२०-३

भोपाल, दि ० १५/६/२०२१

ग्रनिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, मोप्र० भोपाल।
 - (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा भण्डल, मोप्र० भोपाल।
 - (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रांभाग, मोप्र०।
 - (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-नीमच, मोप्र०।
 - (5) विशेष सहायक, मान० राज्यमंत्री (रवतंत्र प्रभार), रकूल शिक्षा विभाग,
भोपाल।
 - (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-ज्ञानोदय इंटरनेशनल रकूल कनवटी,
जिला-नीमच, मोप्र०
 - (7) फोल्डर प्रति.
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधेष्ठित।

 १५/६/२०२१

उप सचिव

मोप्र०शासन, रकूल शिक्षा विभाग